[2023] 12 एस. सी. आर 220:2023 आईएनएससी 829

मुकदमों का विवरण

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम।

गुजरात राज्य

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1012) 13 सितंबर, 2023

[अभय एस. ओका और संजय करोल, जेजे।] हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःभीड़ द्वारा हमला, सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी–अभियुक्त नं।6, बंद के लिए दंडनीय यू/एस।396 आर/डब्ल्यू।s.149,s.395 r/wls.149,s.307 r/wls.149,s.435 r/wls.149 और s.201 आर/डब्ल्यू।आई. पी. सी. का s.149। अभियुक्त एन. ओ. एस.। 1, 5 और 13 को उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील में बरी कर दिया गया था।(क) क्या अपीलार्थी–अभियुक्त का दोषसिद्धि सं।6 न्यायसंगत संपादन; (ख) क्या अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। 2, 3, 4 को न्यायसंगत ठहराया गया था, जब उनकी भूमिका यह थी कि वे भीड़ का हिस्सा थे।

साक्ष्य–अपीलार्थी–अभियुक्त की दोषसिद्धि सं।6 पीडब्लू–2 की एकमात्र गवाही के आधार पर–स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःपीडब्लू–2 की गवाही की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीडब्लू–2 का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है–लगभग दो साल के अंतराल के बाद अदालत में पहली बार अपीलार्थी की पहचान एक से अधिक कारणों से संदिग्ध हो जाती है–पहला, अपीलार्थी को पीडब्लू–2 के बारे में पता नहीं था–दूसरा, अपीलार्थी 50 से 100 लोगों की एक बड़ी आक्रामक भीड़ का हिस्सा था जिसने ऑटो–रिक्शा को घेर लिया था–तीसरा, कोई पहचान पत्र परेड आयोजित नहीं की गई थी–चौथा, अपीलार्थी की विशिष्ट विशेषताओं को नोट करने के लिए पीडब्लू–2 के पास कोई समय उपलब्ध नहीं था–इसलिए, केवल उनकी गवाही के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करना बहुत असुरक्षित है।

220 221

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य 222

प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य–इस मामले में ऐसी पुष्टि पूरी तरह से अनुपस्थित है–इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।[पैरा 8]

दंड संहिता, 1860–अभियुक्त एन. ओ. एस. की दोषसिद्धि। 2, 3, 4–स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःअभियुक्त एन. ओ. एस. की दोषसिद्धि। 1, 5 और 13 केवल पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही पर आधारित थे–सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया था–यह मानते हुए कि पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 ने आरोपी संख्या की पहचान की थी।2, 3 और 4 यह कहते हुए कि वे भीड़ के सदस्य थे; एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय की एक समन्वित पीठ उनकी गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय होने पर खारिज कर देती है, तो उक्त आदेश का लाभ अभियुक्तों को देना होगा।2, 3, और 4 जैसा कि उन्हें समान रूप से अभियुक्त संख्या के साथ रखा गया है।1,5 और 13–इसलिए, अभियुक्त संख्या की दोषसिद्धि।2, 3 और 4 अलग रखें।[पैरा 11,12 और 14]

साक्ष्य–अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ चश्मदीद गवाहों का समान या समान साक्ष्य–समानता का सिद्धांतः

आयोजित किया गयाःजब दो अभियुक्तों के खिलाफ समान या समान भूमिका बताते हुए समान या समान साक्ष्य होता है, तो न्यायालय एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकता है और दूसरे को बरी नहीं कर सकता है–ऐसे मामले में, दोनों अभियुक्तों के

मामले समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे–इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को मामलों की तरह निर्णय लेना चाहिए, और ऐसे मामलों में, न्यायालय दोनों अभियुक्तों के बीच अंतर नहीं कर सकता है, जो भेदभाव के बराबर होगा।[पैरा 15]

भारत का संविधान–अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का स्वतः प्रयोगः

आयोजित किया गयाःपीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही को खारिज कर दिया गया था–जिसके परिणामस्वरूप, आरोप संख्या।1, 5 और 13 को बरी कर दिया गया–आरोपी एन. ओ. एस. का मामला। 3 और 4 अभियुक्त एन. ओ. एस. के समान हैं। 1, 5 और 13–उन्हें समानता का लाभ मिलना चाहिए–अभियुक्त संख्या।3 और 4 ने किसी भी अपील को प्राथमिकता नहीं दी–पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ विस्तार से इसी तरह की आकस्मिकता पर विचार किया–न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र को पक्ष के पक्ष में तब भी लागू किया जा सकता है जब न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि इसके अभ्यास के लिए सम्मोहक आधार मौजूद है–हालाँकि,

इस तरह की स्वतः संज्ञान शक्ति का उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ बहुत संयम से किया जाना चाहिए–न्यायालय ने माना कि शक्ति का प्रयोग दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए।[पैरा 16]

अभ्यास और प्रक्रियाः

आयोजित किया गयाःइससे पहले आरोपी नं.2 बिना किसी कारण को दर्ज किए संक्षेप में खारिज कर दिया गया था–कानून अच्छी तरह से तय है कि एक गैर–भाषी आदेश द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है–आरोपी संख्या 2 का मामला आरोपी एन. ओ. एस. के समान है। 1, 5 और 13 को इस अदालत ने बरी कर दिया–अभियुक्त सं।2 समानता का लाभ मिलना चाहिए–इसलिए, अभियुक्त नं.2 याद किया जाता है।[पैरा 18]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

वादिवेलु थेवर और अन्न बनाममद्रास राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 614:[1957] एससीआर 981; मूसा खान और ओआरएस. वी.महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1976 एससी 2566;

पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2003) 11 एससीसी 241:[2003] 1 पूरक।

एससीआर 710; हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (1982) 2 एससीसी 101:[1982]

3 एस. सी. आर. 235–पर निर्भर।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील No.1012।

2006 के सी. आर. एल. ए. No.736 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 11.02.2016 के निर्णय और आदेश से।

रूपः

एम. शोएब आलम (न्यायमित्र), सुश्री फौजिया शकील, उज्ज्वल सिंह, अगस्त्य सेन, सुश्री गरिमा चौधरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रुचि कोहली, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री देवयानी भट्ट, सुश्री सृष्टि मिश्रा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य 224

223

सर्वोच्च न्यायालय
का निर्णय/आदेश

न्याय

अभय एस. ओका, जे. फैक्टुअल एस्पेक्ट्स

1. जिस घटना के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था, वह 7 नवंबर 2003 की थी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, उस दिन सुबह लगभग 10 बजे अहमदाबाद शहर के शाह आलम इलाके में लगभग 1,000 से 1,500 लोग एकत्र हुए थे।जब पीडब्लू–1 बलदेव अपने दोपहिया वाहन से उस इलाके से गुजर रहे थे, तो भीड़ ने उन्हें रोक दिया।उसे अपनी पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर किया गया।जब उसने अपनी पहचान बताई, तो भीड़ ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उसके दोपहिया वाहन को जला दिया गया।इसके बाद भीड़ ने एक ऑटो–रिक्शा को रोक दिया और ऑटो–रिक्शा में सवार यात्रियों को नीचे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।ऑटो रिक्शा में सवार पीडब्लू–2 गीताबेन भाईलाल का हार छीन लिया गया।भीड़ ने साइकिल पर एलपीजी सिलेंडर ले जा रहे पीडब्लू–3 हेमुभाई पर हमला किया।पीडब्लू–13 अजय मुकेश के साथ अपने दोपहिया वाहन पर उस क्षेत्र से गुजर रहा था।पीडब्लू–13 अजय भागने में सफल रहा।लेकिन भीड़ ने मुकेश पर हमला कर दिया।इसके बाद मुकेश का शव पास की एक झील में मिला।कुल 13 अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया।अभियुक्त एन. ओ. एस.। 1 से 6 और 13 को दोषी ठहराया गया और निचली अदालत ने बाकी अभियुक्तों को बरी कर दिया।सात अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया था, जिसमें वर्तमान अपीलार्थी–अभियुक्त नं.6, धारा 149 के साथ पठित धारा 396, धारा 149 के साथ पठित धारा 395, धारा 149 के साथ पठित धारा 307, धारा 149 के साथ पठित धारा 435 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के साथ पठित धारा 201 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') के तहत दंडनीय अपराधों के लिए।आई. पी. सी. की धारा 396 के साथ 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम सजा आजीवन कारावास थी। विवादित फैसले से, अभियुक्त की दोषसिद्धि को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने सजा को घटाकर 10 साल कर दिया।दोषी अभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों का निर्णय उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा विवादित फैसले द्वारा किया गया था।

2. अपीलार्थी अभियुक्त नं.6.अभियुक्त सं।1, 5 और 13 वरीयता प्राप्त आपराधिक अपील सं।1041 2016 से इस न्यायालय में। 9 अगस्त 2018 के फैसले से इस अदालत ने उक्त तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया।एसएलपी (सीआरएल) डी. 2018 एफ. आई. का No.13063 अभियुक्त नं.2 संक्षेप में खारिज कर दिया गया था

दिनांक 11 मई 2018 का आदेश।अभियुक्त सं।3 और 4 ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए कोई अपील नहीं की।

प्रस्तुतियाँ

3. अपीलार्थी के कारण का समर्थन करने के लिए न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विद्वान वकील ने बताया कि केवल एक गवाह, अर्थात् पीडब्लू–2 गीताबेन ने अपीलार्थी की पहचान की और उसे उसकी सोने की चेन खींचने की भूमिका का श्रेय दिया।उन्होंने कहा कि पीडब्लू–2 अपीलार्थी को नहीं जानता था।इसलिए, अदालत में अपीलार्थी की उसकी पहचान संदिग्ध हो जाती है क्योंकि उसके बयान के अनुसार भी भीड़ में 50–100 व्यक्ति थे जिन्होंने ऑटो–रिक्शा को घेर लिया था जिसमें गवाह यात्रा कर रहा था।इसके अलावा, गवाह ने अपराध की घटना के लगभग दो साल बाद अदालत के समक्ष गवाही दी।उन्होंने बताया कि परीक्षण पहचान समारोह आयोजित नहीं किया गया था।

4. उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में, यह इंगित करना उनका कर्तव्य है कि अभियुक्त संख्या।3 और 4 को केवल पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया था।उन्होंने कहा कि आरोपी संख्या 2 के साथ भी यही मामला है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि आपराधिक अपील सं. का निर्णय करते समय। 2016 का 1041 अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत किया गया।1, 5 और 13, इस न्यायालय ने पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 दोनों की गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।इसलिए, वह प्रस्तुत करेगा कि न केवल अपीलार्थी बरी होने का हकदार है, बल्कि फैसले का लाभ आरोपी एन. ओ. एस. को भी दिया जा सकता है। 2,3 और 4 भी।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने आग्रह किया कि पीडब्लू–2 ने स्पष्ट रूप से अपीलार्थी की पहचान की है और उसकी सोने की चेन छीनने की भूमिका का श्रेय उसे दिया है।उसने प्रस्तुत किया कि घटना की तारीख और पीडब्लू–2 के बयान की तारीख के बीच केवल दो साल का समय बीत गया था, और इसलिए, पीडब्लू–2 के लिए अपीलार्थी की पहचान करना आसानी से संभव था।उसने कहा कि पीडब्लू–2, एक महिला होने के नाते, उस आरोपी का चेहरा कभी नहीं भूलेगी जिसने उसकी गर्दन से सोने की चेन छीन ली थी।उसने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक अभियुक्त संख्या।2,3 और 4 चिंतित हैं, उनकी दोषसिद्धि शून्य हो गई है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

हमारा दृष्टिकोण

6. सबसे पहले, हम अपीलार्थी के मामले पर विचार करते हैं।पीडब्लू–25 (आरिफ खान) और पीडब्लू–26 (सचिनभाई पटेल), जो कथित तौर पर चश्मदीद गवाह हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं।उन दोनों ने दावा किया कि घटना के समय लगभग 1000–1,500 लोगों की भीड़ उस स्थान पर जमा हो गई थी जहाँ घटना हुई थी

हुआ था।विवादित निर्णयों के अनुसार, केवल पीडब्लू–2 गीताबेन ने अपीलार्थी की पहचान की है और उसे चेन छीनने की एक विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया है।इस प्रकार, जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, पीडब्लू–2 एकमात्र गवाह है।पीडब्लू–2 ने जाँच–प्रमुख में कहा कि जिस ऑटो–रिक्शा में वह यात्रा कर रही थी, उसमें छह यात्री थे।शाह आलम गेट के पास भीड़ को देखकर चालक ने ऑटो–रिक्शा रोक दिया और भाग गया।उसने कहा कि भीड़ ने ऑटो–रिक्शा को घेर लिया।उन्होंने यह भी कहा कि भीड़ के सदस्य मुस्लिम समुदाय से थे।उसने कहा कि ऑटो–रिक्शा की अगली सीट पर बैठे दो लोगों को बाहर निकाला गया।वह ऑटो–रिक्शा से बाहर नहीं निकल सकी।उसने कहा कि किसी ने उसकी गर्दन से उसकी सोने की चेन निकाली, जिसका वजन लगभग 10 ग्राम था।उसने कहा कि उसे थप्पड़ मारा गया था और उसे एक कील के कारण चोटें आई थीं।उसने विशेष रूप से कहा कि ऑटो–रिक्शा के आसपास भीड़ में 50–100 लोग मौजूद थे, और उसने भीड़ में से किसी को भी नहीं पहचाना।जब अदालत में मौजूद अभियुक्त की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया गया, तो उसने कहा कि उनमें से एक भीड़ में मौजूद था।गवाह ने एक आरोपी की ओर इशारा किया।ट्रायल कोर्ट ने नोट किया है कि उक्त आरोपी को खड़े होने के लिए कहा गया था जिसने अपना नाम जावेद बताया था।इसके बाद, गवाह ने कहा कि उक्त आरोपी ने उसकी गर्दन से चेन खींच ली।जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि कोई परीक्षण पहचान समारोह आयोजित नहीं किया गया था।यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभियोजन पक्ष के किसी अन्य गवाह ने अपीलार्थी की पहचान नहीं की है।गवाह ने बताया कि ऑटो–रिक्शा के चारों ओर लगभग

50–100 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी।अभियोजन पक्ष का यह मामला नहीं है कि वह अपीलार्थी को पहले से जानती थी। घटना के उसके संस्करण को देखते हुए, उसके पास अपीलार्थी की विशिष्ट विशेषताओं को देखने के लिए कोई समय उपलब्ध नहीं था।झपटमारी की घटना सेकंडों में खत्म हो गई होगी।इसलिए, यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि ऑटो–रिक्शा के चारों ओर इतनी बड़ी भीड़ में, गवाह केवल एक आरोपी का चेहरा याद कर सकता था और घटना की तारीख से लगभग दो साल के अंतराल के बाद उसे पहचान सकता था।

7. किसी मामले में, दोषसिद्धि केवल एक चश्मदीद गवाह की गवाही पर आधारित हो सकती है।वादिवेलु थेवर और अन्र बनाम के मामले में इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस ओर से कानून निर्धारित किया गया है।मद्रास राज्य 1.उक्त निर्णय के अनुच्छेद 10,11 और 12 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

1 आकाशवाणी 1957 एससी 614

"10. .....

संबंधित अधिकारियों और साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने पर, निम्नलिखित प्रस्तावों को सुरक्षित रूप से स्थापित किया जा सकता हैः

(1) एक सामान्य नियम के रूप में, एक अदालत एक एकल गवाह की गवाही पर कार्रवाई कर सकती है और कर सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है।एक विश्वसनीय गवाह विशिष्ट चरित्र के कई अन्य गवाहों की गवाही से अधिक महत्वपूर्ण है।

(2) जब तक कानून द्वारा पुष्टि पर जोर नहीं दिया जाता है, तब तक अदालतों को पुष्टि पर जोर नहीं देना चाहिए, सिवाय उन मामलों के जहां एकल गवाह की गवाही की प्रकृति विवेक के नियम के रूप में आवश्यक है, उस पुष्टि पर जोर दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए एक बाल गवाह के मामले में, या एक गवाह जिसका सबूत एक साथी या एक समान चरित्र का है।

(3) एकल गवाह की गवाही की पुष्टि आवश्यक है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करना चाहिए और इस तरह के मामले में कोई सामान्य नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है और बहुत कुछ उस न्यायाधीश के न्यायिक विवेक पर निर्भर करता है जिसके समक्ष मामला आता है।

11. इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह तर्क कि एक हत्या के मामले में, अदालत को गवाहों की बहुलता पर जोर देना चाहिए, बहुत व्यापक रूप से कहा गया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी भी मामले में, किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों की आवश्यकता नहीं होगी।"विधायिका ने बहुत पहले 1872 में, संभवतः पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या खंडन के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा।इंग्लैंड में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पहले और बाद में, सरकार के साक्ष्य कानून–9 वें संस्करण, पृष्ठ 1100 और 1101 में निर्धारित किए गए कई कानून हैं, जो एक ही गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि को प्रतिबंधित करते हैं।भारतीय विधानमंडल ने ऊपर उद्धृत धारा 134 में मान्यता प्राप्त सामान्य नियम के लिए ऐसे किसी भी अपवाद को निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है। इस खंड में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कहावत है कि "साक्ष्य का वजन 227 होना चाहिए।

और गिनती नहीं की। "हमारे विधानमंडल ने इस तथ्य को वैधानिक मान्यता दी है कि यदि एक विशेष संख्या में गवाहों पर जोर दिया जाता है तो न्याय के प्रशासन में बाधा आ सकती है।ऐसा शायद ही कभी होता है कि केवल एक गवाह की उपस्थिति में अपराध किया गया हो, उन मामलों को छोड़कर जो असामान्य घटना के नहीं हैं, जहां अपराध का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।

यदि विधायिका गवाहों की बहुलता पर जोर देती है, तो ऐसे मामले जहां अपराध के प्रमाण में केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा।यही वह जगह है जहाँ पीठासीन न्यायाधीश का विवेक कार्य में आता है।इस प्रकार मामला प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और एकल गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए जिसकी गवाही को या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार किया जाना है।यदि अदालत द्वारा ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।यहां तक कि

एक अभियुक्त व्यक्ति का अपराध एक गवाह की गवाही से साबित किया जा सकता है, एक अभियुक्त व्यक्ति की बेगुनाही एक गवाह की गवाही पर स्थापित की जा सकती है, भले ही अभियोजन पक्ष के लिए मामले की सच्चाई की गवाही देने के लिए काफी संख्या में गवाह सामने आ सकते हैं।इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी मामले को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से।

तथ्य।आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्:

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

12. सबूत की पहली श्रेणी में, अदालत को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए–वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर यह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाई जाती है।दूसरी श्रेणी में, अदालत को समान रूप से अपनी स्थिति पर आने में कोई कठिनाई नहीं है।

निष्कर्ष।यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि अदालत को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है।वहाँ है।

गवाहों की बहुलता पर जोर देने में एक और खतरा।एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य के प्रमाण में गवाहों की बहुलता पर जोर देती हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों के अधीनता को प्रोत्साहित करेंगे।ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ किसी विवादित तथ्य के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए केवल एक व्यक्ति उपलब्ध हो।स्वाभाविक रूप से न्यायालय को ऐसी गवाही पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है और यदि यह संतुष्ट किया जाता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है और उन सभी कलंकों से मुक्त है जो मौखिक गवाही को संदेह के लिए खुला रखते हैं, तो ऐसी गवाही पर कार्रवाई करना उसका कर्तव्य बन जाता है।कानूनी रिपोर्टों में कई उदाहरण हैं जहां अदालत को अभियोजन पक्ष के समर्थन में एक गवाह की गवाही पर निर्भर रहना पड़ता था और उस पर कार्रवाई करनी पड़ती थी।इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, यौन संबंध या एक सरकारी गवाह की गवाही के मामलों में; ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनमें मौखिक गवाही, अपने स्वभाव से, संदिग्ध है, जो अपराध में भागीदार है।लेकिन, जहां ऐसे कोई असाधारण कारण काम नहीं कर रहे हैं, यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह दोषी ठहराए, अगर यह संतुष्ट हो कि एक गवाह की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है।इसलिए

हमारे पास पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय सबूत है।."

(जोर जोड़ा गया) 8.पीडब्लू–2 की गवाही की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पीडब्लू–2 का साक्ष्य पूरी तरह से विश्वसनीय है।लगभग दो वर्ष के अंतराल के बाद न्यायालय में पहली बार अपीलार्थी की पहचान एक से अधिक कारणों से संदिग्ध हो जाती है।सबसे पहले, अपीलार्थी को पीडब्लू–2 के बारे में पता नहीं था।दूसरा, अपीलार्थी 50 से 100 लोगों की एक बड़ी आक्रामक भीड़ का हिस्सा था जिसने ऑटो–रिक्शा को घेर लिया था।तीसरा, कोई पहचान समारोह आयोजित नहीं किया गया था।चौथा, पीडब्लू–2 के पास अपीलार्थी की विशिष्ट विशेषताओं को नोट करने के लिए कोई समय उपलब्ध नहीं था।इसलिए, केवल एकल गवाह की गवाही के आधार पर निष्कर्ष दर्ज करना बहुत असुरक्षित है कि अपीलार्थी का अपराध एक उचित संदेह से परे साबित हुआ था।भले ही हम पीडब्लू–2 के साक्ष्य को "न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय" के रूप में वर्गीकृत करते हैं, अपीलार्थी को केवल पीडब्लू–2 की एकमात्र गवाही के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पीडब्लू–2 के संस्करण की पुष्टि नहीं होती है।इस मामले में इस तरह की पुष्टि पूरी तरह से अनुपस्थित है।इसलिए, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है।

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य

229

[अभय एस. ओका, जे.] 230

9. अब, आरोपी संख्या की भूमिका पर आते हैं।2, 3 और 4, हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि उनकी एकमात्र भूमिका यह थी कि वे भीड़ का हिस्सा थे।उनके खिलाफ कोई स्पष्ट कार्य नहीं किया गया था।ट्रायल कोर्ट ने पीडब्लू–25 (आरिफखान) और पीडब्लू–26 (सचिनभाई पटेल) की गवाही पर विश्वास किया।पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 दोनों ने आरोपी नं.2.हालांकि, एक परीक्षण पहचान समारोह आयोजित नहीं किया गया था।

10. जहाँ तक अभियुक्त नं.3 उसकी पहचान पीडब्लू–26 द्वारा भीड़ के सदस्य के रूप में की गई थी।पीडब्लू–25 की गवाही पर गौर करने के बाद, हमें पता चलता है कि उसने विशेष रूप से आरोपी नं.3.अभियुक्त नं.4 पीडब्लू–26 द्वारा उसकी पहचान नहीं की गई थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट का निर्णय यह है कि उसकी पहचान पीडब्लू–25 द्वारा की गई थी।

11. अभियुक्त एन. ओ. एस. की दोषसिद्धि। 1, 5 और 13 केवल पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही पर आधारित थे। अभियुक्त संख्या के संबंध में परीक्षण पहचान प्रमाण परेड।1 और 5 को गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन आरोपी नं।13, परीक्षण पहचान केशन परेड आयोजित की गई थी।अभियुक्तों द्वारा पसंद की गई अपीलों पर विचार करते समय सं.1, 5 और 13, पैराग्राफ 5 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

"पीडब्लू–25 और 26 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमें इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या उक्त दो गवाहों के साक्ष्य से न्यायालय को विश्वास होना चाहिए।1000–1500 लोगों की भीड़ में वर्तमान अभियुक्त–अपीलार्थियों सहित मुकदमे के लिए भेजे गए कुल 13 अभियुक्तों की पहचान करना किसी भी तरह से आसान काम नहीं है।इसके अलावा और नहीं

जहाँ तक अभियुक्त Nos.1 और 5 का संबंध है, परीक्षण पहचान प्रमाण परेड आयोजित की गई थी।अभियोजन पक्ष ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि ए–1 और ए–5 के संबंध में कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों नहीं आयोजित की गई, जबकि ए–13 के संबंध में एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड आयोजित की गई थी।" (जोर जोड़ा गया) 12.इस न्यायालय का विचार था कि पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 के साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं।इस न्यायालय ने पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही को आंशिक रूप से अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उनकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया।

13. जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 149 लागू की गई थी, इस न्यायालय ने इस तथ्य के आधार पर अभियोजन पक्ष के सिद्धांत पर विचार किया कि अभियुक्त संख्या।1, 5 और भीड़ में 13 लोग मौजूद थे।इस न्यायालय ने अपने निर्णय के अनुच्छेद 5 में जो कहा गया है, उस पर भरोसा किया।

मूसा खान और ओआरएस के मामले में।महाराष्ट्र राज्य 2.का अनुच्छेद 5

उक्त निर्णय इस प्रकार है:"5. अपीलकर्ताओं ने निर्दोष होने का अनुरोध किया और कहा कि उन्हें शत्रुता के कारण गलत तरीके से फंसाया गया था और उन्होंने दंगे में भाग नहीं लिया था।नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने घटना के मुख्य तथ्यों के साथ-साथ दंगों में अपीलार्थियों की भागीदारी को भी स्वीकार किया है।हालाँकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने भी अभियुक्तों के व्यक्तिगत मामलों की जाँच करने में, विशेष रूप से विचाराधीन घटना में उनकी वास्तविक उपस्थिति या भागीदारी के संदर्भ में, सही दृष्टिकोण नहीं अपनाया है।यह सच है कि जिस पृष्ठभूमि के खिलाफ घटनाएँ हुईं, उसे देखते हुए नेशनल होटल से शुरू होने वाली और जोगेंद्र सिंह की चॉल के साथ समाप्त होने वाली सभी घटनाएं एक ही लेन-देन का हिस्सा थीं, फिर भी वे अलग-अलग घटनाएं थीं जिनमें भीड़ के अलग-अलग सदस्यों ने भाग लिया था।इन परिस्थितियों में, इसलिए, सभी घटनाओं में अपीलार्थियों की वास्तविक भागीदारी के बारे में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना यह कानून के मामले के रूप में अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि एक बार जब अपीलार्थी राष्ट्रीय होटल में भीड़ के सदस्य थे, तो उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज छात्रावास, भारत लॉज और जोगेंद्र सिंह की चॉल में अन्य सभी घटनाओं में भाग लिया माना जाना चाहिए।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि व्यक्तियों की सभा में केवल एक निर्दोष उपस्थिति, उदाहरण के लिए एक दर्शक, अभियुक्त को एक गैरकानूनी सभा का सदस्य नहीं बनाती है, जब तक कि यह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा नहीं दिखाया जाता है कि अभियुक्त सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा करता है।

इस प्रकार, एक अदालत को यह मानने का अधिकार नहीं है कि कोई भी और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी समय दंगाई भीड़ के पास मौजूद था या अपनी गतिविधियों के दौरान किसी भी स्तर पर इसमें शामिल हुआ या छोड़ दिया था, वह शुरू से अंत तक उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कानूनी रूप से दोषी है, या ऐसी भीड़ के प्रत्येक सदस्य को शुरू से ही उन अवैध गतिविधियों की प्रकृति का अनुमान और विचार करना चाहिए जिसमें सभा बाद में शामिल होगी।दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मामले में यह साबित किया जाना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति न केवल किसी स्तर पर गैरकानूनी सभा का सदस्य था, बल्कि बिल्कुल भी नहीं था

2 ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2566 331

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य

[अभय एस. ओका, जे.] 232

महत्वपूर्ण चरणों और इन सभी चरणों में सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा किया।इस मामले में ऐसे साक्ष्य की पूरी तरह से कमी है जहां साक्ष्य केवल यह दर्शाता है कि कुछ आरोपी एक विशेष स्तर पर गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, लेकिन नहीं।

दूसरे में।इन परिस्थितियों में, इसलिए, जो आरोपी उपस्थित नहीं थे या जिन्होंने अन्य चरणों में गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को साझा नहीं किया था, उन्हें उन चरणों में सभा की गतिविधियों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस त्रुटि को देखते हुए हमारे लिए इस सीमित प्रश्न पर साक्ष्य की जांच करना आवश्यक हो गया है कि किस अभियुक्त ने वास्तव में इंजीनियरिंग कॉलेज, भारत लॉज और जोगेंद्र सिंह की चॉल की घटनाओं में भाग लिया था, जहां आगजनी की घटनाएं हुई थीं।यह भी आम आधार है कि घटना रात में हुई थी और अभियुक्त की पहचान करने वाले गवाहों के साक्ष्य की बहुत सावधानी से जांच की जानी थी।."

(जोर जोड़ा गया) 14।यह मानते हुए कि पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 ने आरोपी संख्या की पहचान की है।2, 3 और 4 यह कहते हुए कि वे भीड़ के सदस्य थे; एक बार जब इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ उनकी गवाही को पूरी तरह से अविश्वसनीय होने के कारण खारिज कर देती है, तो उक्त आदेश का लाभ अभियुक्तों को देना होगा।2,3 और 4 जैसा कि उन्हें समान रूप से अभियुक्त संख्या के साथ रखा गया है।1,5 और 13.इसके अलावा, पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 को छोड़कर, किसी अन्य गवाह ने आरोपी संख्या को कोई भूमिका नहीं दी है।2, 3 और 4.

15. जब दो अभियुक्तों के खिलाफ समान या समान भूमिका बताते हुए चश्मदीद गवाहों का समान या समान सबूत होता है, तो अदालत एक अभियुक्त को दोषी नहीं ठहरा सकती और दूसरे को बरी नहीं कर सकती।ऐसे मामले में, दोनों अभियुक्तों के मामले समानता के सिद्धांत द्वारा शासित होंगे।इस सिद्धांत का अर्थ है कि आपराधिक न्यायालय को समान मामलों में समान रूप से निर्णय लेना चाहिए, और ऐसे मामलों में, न्यायालय दोनों अभियुक्तों के बीच अंतर नहीं कर सकता है, जो भेदभाव के बराबर होगा।

16. जहाँ तक अभियुक्तों की संख्या।3 और 4 चिंतित हैं, उन्होंने किसी को पसंद नहीं किया

अपील करें।पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य 3 के मामले में, इस न्यायालय ने सुनवाई की।

3 (2003) 11 एस. सी. सी. 241

कुछ विस्तार से समान आकस्मिकता के साथ।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र को पक्ष के पक्ष में तब भी लागू किया जा सकता है जब न्यायालय को संतुष्ट किया जाता है कि इसके प्रयोग के लिए सम्मोहक आधार मौजूद है।हालांकि, इस तरह की स्वतः संज्ञान शक्ति का उपयोग सावधानी और सावधानी के साथ बहुत संयम से किया जाना चाहिए।न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मामलों में शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

17. अभियुक्त एन. ओ. एस.। 15 और 13 को केवल पीडब्लू–25 और पीडब्लू–26 की गवाही के आधार पर दोषी ठहराया गया था।उन्हें यह मानते हुए बरी कर दिया गया कि दोनों गवाहों की गवाही अविश्वसनीय थी और खारिज किए जाने के योग्य थी।यदि यही राहत अभियुक्त एन. ओ. एस. को नहीं दी जाती है। 3 और 4 समानता के कारण, यह अभियुक्त एन. ओ. एस. को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा 3 और 4।इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो लाभ अभियुक्त एन. ओ. एस. को दिया जाता है। 1, 5 और 13 अभियुक्तों तक विस्तारित किए जाने के योग्य हैं।3 और 4, जिन्होंने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी।इस मामले में, अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का स्वतः संज्ञानात्मक प्रयोग आवश्यक है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उक्त दो अभियुक्तों की स्वतंत्रता का सवाल है।

18. अब हम आरोपी नं.2.11 मई 2018 के आदेश के अनुसार, अभियुक्त नं.2 बिना किसी कारण को दर्ज किए संक्षेप में खारिज कर दिया गया।कानून अच्छी तरह से तय किया गया है।गैर–भाषी आदेश द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति से इनकार करने वाला आदेश विलय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है।इस स्तर पर, हम तीन–न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित कर सकते हैं

हरबंस सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। 4.

पैराग्राफ 18 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

“18.मेरे विचार से, यह न्याय का सरासर उपहास होगा और न्याय का मार्ग विकृत हो जाएगा, यदि इसी कारण से याचिकाकर्ता को झूलना पड़ता है और मौत की चरम सजा का भुगतान करना पड़ता है, जबकि उसके सह–आरोपी को उसी अपराध के लिए

दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है और सह–आरोपी का जीवन साझा किया जाता है (एस. आई. सी. बख्शा जाता है)।याचिकाकर्ता हरबंस सिंह का मामला वास्तव में दुर्भाग्यिपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि न तो उनकी विशेष अनुमति याचिका और इस न्यायालय में समीक्षा याचिका में और न ही भारत के राष्ट्रपति को उनकी दया याचिका में, यह सब महत्वपूर्ण है और

4 (1982) 2 एससीसी 101 233

जावेद शौकत अली कुरैशी बनाम गुजरात राज्य

[अभय एस. ओका, जे.] 234

महत्वपूर्ण तथ्य यह नहीं है कि उसी अपराध के संबंध में उसके सह–अभियुक्त पर लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया है।यदि इस तथ्य को उस समय इस न्यायालय के संज्ञान में लाया जाता जब न्यायालय याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका या यहां तक कि उसकी समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रहा था, तो मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह न्यायालय उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देता।उसी ऑफ एनस के लिए

और इसी तरह की संलिप्तता, जिम्मेदारी और मिलीभुगत के लिए, एक को मृत्युदंड और दूसरे को आजीवन कारावास कभी भी उचित नहीं होता।मुझे यह भी लगता है कि यदि याचिकाकर्ता ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी दया याचिका में उसी अपराध के संबंध में अपने सह–अभियुक्त की मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित करने के इस तथ्य का कोई उल्लेख किया होता, तो राष्ट्रपति अपनी याचिका पर अलग दृष्टिकोण रखने के लिए इच्छुक हो सकते थे।."

(जोर जोड़ा गया) 19.हमने पाया है कि आरोपी संख्या 2 का मामला आरोपी एन. ओ. एस. के समान है। इस न्यायालय द्वारा 1,5 और 13 को बरी कर दिया गया।आरोपी नं.2 समानता का लाभ मिलना चाहिए।हरबंस सिंह 4 के मामले में निर्धारित सिद्धांत लागू होंगे।यदि हम अभियुक्त संख्या 2 को राहत देने में विफल रहते हैं, तो अभियुक्त संख्या 2 को अधिकारों की गारंटी दी जाती है। 2 भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उल्लंघन किया जाएगा।यह प्रकट अन्याय करने के बराबर होगा।वास्तव में, एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में जिसे संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को बनाए रखने का कर्तव्य सौंपा गया है, यह हमारा कर्तव्य और दायित्व है कि हम आरोपी नं.2.इसलिए, हमें अभियुक्त नं. 1 के नेतृत्व में विशेष अनुमति याचिका में पारित आदेश को याद करना होगा।2.

20. फैसला देने से पहले, हमें न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता श्री एम. शोएब आलम द्वारा की गई सेवा की सराहना करनी चाहिए।

21. तदनुसार, अपील सफल होती है और हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैंःए। अपीलार्थी ने अभियुक्त नं.6–जावेद शौकत अली कुरैशी को 17 मार्च 2006 के निचली अदालत के फैसले और 11 फरवरी 2016 के उच्च न्यायालय के फैसले को इस हद तक दरकिनार करके उनके खिलाफ कथित अपराधों से बरी कर दिया गया है।वह जमानत पर है।उसके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं।

बी। हम अभियुक्त नं. की दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करते हैं।3 महबूबखान अल्लारखा और अभियुक्त नं।4 सैदखान @अन्ना इकबलहुसैन ने उन्हीं फैसलों को उस हद तक दरकिनार कर दिया और उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया।यदि उन्हें किसी अन्य मामले के संबंध में हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

ग. हम एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में 11 मई 2018 के आदेश को याद करते हैं। 2018 की डायरी No.13063 और अनुदान अवकाश।ऊपर बताए गए कारणों के लिए, अभियुक्त नं। 2 अमजदखान नासिरखान पठान निचली अदालत और उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को उस हद तक दरकिनार करके बरी हो जाता है।उसे तुरंत रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि उसे किसी अन्य अपराध के संबंध में हिरासत में लेने की आवश्यकता न हो; और

घ. उपरोक्त शर्तों पर अपील की अनुमति है।

द्वारा तैयार किया गया हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान